


FORM No. III**फर्द अहकाम
(नियम 26)**

नाम अदालत जिला कलक्टर, अलवर मुकाम अलवर
उनवान मै० कृष्णा कैरियर्स बनाम अध्यक्ष, जिला उपापन समिति पदेन जिला रसद
अधिकारी, अलवर वगै०

किस्म मुकदमा अपील Rajasthan Transparency in Public Procurement Act 2012
दायर नम्बर 12/184/2022 दा०दि० 14.12.2022

तारीख हुकम	हुकम की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
14.12.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उपस्थित। वकील अपीलांट द्वारा अपील प्रा०पत्र पेश कर विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के निविदा जारी आदेश सं० (6002_अलवर) 2022_RSFCs_30339_1 दिनांक 07.12.2022, जिसके द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से अपीलांट की ऑनलाईन निविदा को बिना किसी युक्तियुक्त कारणों के तकनीकी आधार पर निरस्त करते हुए ब्लैक लिस्टेड फर्म मै० भरतलाल शिवसहाय एण्ड सन्स दागरवाड़ा, राजगढ़ जिला अलवर को निविदा प्रदान की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर उक्त निविदा आदेश को अपास्त फरमाया जावें। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। हमने अपील पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रथमदृष्ट्या वकील अपीलांट द्वारा पत्रावली में निविदा से संबंधित किसी आदेश की प्रमाणित प्रति पेश ना कर मात्र कार्यालय टिप्पणी की प्रति के आधार पर अपील पेश की गयी है। जो निविदा जारी करने का कोई पूर्ण आदेश नहीं है। जिसके आधार पर उक्त अपील को सुनने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।</p>	


जिला कलक्टर
अलवर